न्यायालय–डॉ.गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर, म.प्र.

रजिस्ट्रेशन कं. एस.सी.एन.आई.ए. 362/2023

राकेश कुमार

.....परिवादी

//विरूद्ध//

भैरो प्रसाद **.....अभियुक्त**

10-08-2026

परिवादी सहित श्री रवि रैदास अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री अफसर हुसैन उपस्थित।

प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर परिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को राजीनामा में समाप्त किये जाने बावत प्रस्तुत किया।

उभयपक्षों को उक्त आवेदन पर सुना गया।

परिवादी की ओर से व्यक्त किया कि उनका एवं अभियुक्त का न्यायालय से बाहर राजीनामा हो गया है और उन्हें संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है इस कारण प्रकरण वे आगे नहीं चलाना चाहते है इसी स्तर पर प्रकरण वापिस लेना चाहते है और प्रकरण को इसी स्तर पर राजीनामा होने के आधार पर समाप्त कराना चाहते है। अतः प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन होकर परिवादी साक्ष्य के स्तर पर है। उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय अपराध हैं, जिसमें परिवादी द्वारा अभियुक्त से न्यायालय से बाहर राजीनामा होना व्यक्त कर संपूर्ण राशि प्राप्त होना बताया है और उक्त आवेदन स्वेच्छया देना व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि उभयपक्ष में समझौता होने से वह अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण अब और आगे नहीं चलाना चाहता है। परिवादी की पहचान श्री रवि रैदास अधिवक्ता द्वारा की गई है। चुंकि उभय पक्षों के मध्य विवादों का अंतिम निपटारा राजीनामें के माध्यम से ही किया जा सकता है इस कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर परिवादी राजीनामें के आधार प्रकरण समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। अतः अभियुक्त को धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

चंकि उभयपक्षों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है इस कारण राजीनामा के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी द्वारा दी गई न्यायालय शुल्क वापस दिया जाये न्यायसंगत है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रजिस्ट्रार जनरल मद्रास उच्चन्यायालय विरूद्ध एम.सी. सुबह्मन्यम 2021 (3) एस.एस.सी. 560, सुरेन्द्र राठौर विरूद्ध विश्वनाथ वसीम प्रथम अपील क्रमांक 1045/2019 निर्णय दिनांकित 13.03.2023, दयाराम विरूद्ध लक्ष्मी अग्रवाल प्रथम अपील क्रमांक 222/2015 निर्णय दिनांकित 20.09.2022, अवलोकनीय है। इस प्रकार न्यायालय शुल्क वापसी का प्रमाण–पत्र जारी किया जावे तथा उसकी पावती आदेश पत्रिका में ली जावें।

न्यायदृष्टांत **संजाबिज तारी विरूद्ध किशोर एस. बोरकार व अन्य क्रिमिनल अपील कं. 1755/2010 आदेश दिनांकित 25.09.2025** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि के संबंध में जारी नवीन

दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त प्रकरण परिवादी साक्ष्य के स्तर पर होने से अभियुक्त पर कोई भी प्रतिकर राशि अधिरोपित नहीं की गई है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

डॉ. गौरव गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जबलपुर

GAURAV GARG

Digitally signed by GAURAV GARG
Date: 2026.08.10 16:49:43 +0530